372

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रं0........... निग-1246-II-16 वर्ष 2015-16

प्यारेलाल अहीर आयु 75 वर्ष तनय पल्टू अहीर

निवासी ग्राम नदगांयकला तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.) ---------निगरानीकर्ता

बनाम

1- गजाधर आयु 65 वर्ष तनय पंगे अहीर

निवासी ग्राम नदगांयकला तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2- मध्यप्रदेश शासन --------------------गैर निगरानीकर्ता

श्री ...... द्वारा आज दि. 20.4.16 को प्रस्तुत
20-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह0 व जिला छतरपुर द्वारा प्र.क्रं. 131/अपील/अ-6/2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 से दुखी होकर म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।</u>

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है -

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता क्रं. एक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील छतरपुर (जिन्हे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा) के समक्ष ग्राम नंदगॉयकला राजस्व निरीक्षक मण्डल महेबा तहसील छतरपुर की नामांतरण पंजी क्रं. 20 मे नायब तहसीलदार प्रभारी महेबा मण्डल तह0 छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2011 के विरूद्ध अपील क्रमांक 31/अपील/अ-6/14-15 प्रस्तुत की गई तथा उक्त अपील ज्ञापन के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र का जबाव निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपीलार्थी /गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने एवं तदानुसार अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया, उक्त आवेदन पत्र का निराकरण दिनांक 22.03.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया तथा 5 वर्षो बाद प्रस्तुत सहमति के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने का आदेश दिया तथा अपील अंतिम तर्क हेतु दिनांक 12.04.2016 को नियत कर दी गई, उक्त आदेश दिनांक 12.4.2016 से दुखी होकर निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है :-

अ- यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 से यह निगरानी अवधि के अंदर है तथा मान्नीय द्वारा सुने जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1246—दो/2016 जिला छतरपुर

प्यारेलाल अहरी विरूद्ध गजाधर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28—2—2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 131/अपील/अ—6/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 22—3—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25—4—2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	